



कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हकदारी)  
पंजाब एवं यू.टी., सेक्टर 17 -ई, चंडीगढ़ -160017.  
Office of The Accountant General (A&E),  
Punjab & U.T., Sector-17 E,  
Chandigarh – 160017.  
Phone: 0172-2702906, 2703117, 2709576  
Fax – 0172-2702286  
Mail: [agaepunjab@cag.gov.in](mailto:agaepunjab@cag.gov.in)



क्रमांक: Admn-I/A/24-25/ 86  
दिनांक: 29-05-2024

### कार्यालय आदेश

#### Office Order

कार्यालय आदेश सं. प्रशासन-I/A/24-25/61 दिनांक 09.05.2024 की निरंतरता में, यह बताया जाता है कि मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार e-HRMS 2.0 को छुट्टी आवेदन सहित प्रतिपूर्ति (समाचार पत्र, टेलीफोन एवं शिशु शिक्षा भत्ते) आवेदनों हेतु आवश्यक रूप से उपयोग किया जाना है। उपरोक्तानुसार, सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 29.05.2024 से छुट्टी आवेदन सहित प्रतिपूर्ति (समाचार पत्र, टेलीफोन एवं शिशु शिक्षा भत्ते) सेवाओं हेतु आवेदन/स्वीकृति केवल ई-एच.आर.एम.एस 2.0 के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। उपरोक्त सेवाओं के प्राप्त करने का कोई अन्य तरीका (अर्थात भौतिक रूप में, टेलीफोनिक माध्यम आदि के माध्यम से) नहीं अपनाया जाएगा।

In continuation of office order no. Admn-I/A/24-25/61 dated 09.05.2024, it is stated that as per HQs directions only e-HRMS 2.0 portal is to be used for leave and reimbursement services (Newspaper, Telephones and Children's Education Allowances). As such, all officers/employees are directed to avail Leave and Reimbursement services w.e.f. 29.05.2024, through e-HRMS 2.0 only & no other mode (i.e. in physical form, via telephonic medium etc.) shall be adopted for availing above services.

e-HRMS 2.0 पोर्टल पर उपरोक्त सेवाओं के इस्तेमाल में किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या (स्क्रीन शॉट सहित) वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन-1) को ईमेल ([gilljas.pjb.ae@cag.gov.in](mailto:gilljas.pjb.ae@cag.gov.in)) के माध्यम से तुरंत सूचित करेंगे।


Technical problems (if any) related to use of above services in e-HRMS 2.0 portal (with screen shot) may be communicated to Sr. Accounts Officer (Admn.1) through email ([gilljas.pjb.ae@cag.gov.in](mailto:gilljas.pjb.ae@cag.gov.in)).

**Authority: Accountant General's orders dated 28.05.2024.**

प्रेषण सं. प्रशा-I/e-HRMS/24-25/ 873-76  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है :-

1. महालेखाकार के निजी सचिव
2. सभी समूह अधिकारी
3. सभी वरिष्ठ लेखा अधिकारी
4. आई.टी. सहायता कक्ष, कार्यालय के website पर अपलोड करने हेतु
5. नोटिस बोर्ड
6. कार्यालय आदेश फ़ाइल

हस्ता/-  
प्रवर-उप महालेखाकार (प्र०)  
दिनांक: 29-05-2024

  
वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्र-1)